उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग–4

संख्या– /XX–4/2021–2(4)/2013

देहरादून : दिनांक 25 फरवरी, 2021

कार्यालय–ज्ञाप

मा0 मंत्रिमण्डल की बैठक दिनांक 17–01–2021 में पारित निर्णय के क्रम मे अधिसूचना संख्या–231/XX–4/2021–2(4)/2013, दिनांक 19–02–2021 के द्वारा "उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021 प्रख्यापित की गयी है।

उक्त नियमावली निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी।

(कृष्ण कुमार वी0के0)
अपर सचिव

संख्या–251/XX–4/2021–2(4)/2013, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को उक्त नियमावली की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. सचिव, विधानसभा, उत्तराखण्ड।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
6. पुलिस उप महानिरीक्षक, अग्निशमन एवं आपात सेवा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. पुलिस उप महानिरीक्षक, कुमांऊ/गढ़वाल परिक्षेत्र, नैनीताल/पौड़ी।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
11. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री रूड़की, हरिद्वार को नियमावली की प्रति इस निवेदन के साथ प्रेषित कि उक्त नियमावली को सरकारी गजट पर प्रकाशित कराकर इसकी 150 प्रतियां गृह अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
12. अनुभाग अधिकारी, गोपन अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
संयुक्त सचिव

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–4
संख्या– 231 /XX–4/2021–2(4)/2013
देहरादून : दिनांक 19 फरवरी, 2021

अधिसूचना

राज्यपाल, ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली, 2021

भाग–1 (सामान्य)

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (I) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम, उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा (संशोधन) नियमावली 2021 है।
(II) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3(ग) का संशोधन 2. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली, 2016 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम–3(ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये नियम को रख दिया जायेगा। नियम 3(ट) अतिरिक्त रूप से जोड़ा जायेगा अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
3(ग) 'आयोग' से 'अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' अभिप्रेत है।	3(ग) आयोग' से 'अधीनस्थ सेवा चयन आयोग' अभिप्रेत है अथवा राज्य सरकार द्वारा तत्समय प्राधिकृत संस्था अभिप्रेत है। (II) उपखण्ड(ञ) के पश्चात निम्न खण्ड अंतः स्थापित कर दिया जायेगा। 3(ट) "विभागाध्यक्ष" से पुलिस महानिदेशक उत्तराखण्ड अभिप्रेत है।

नियम 6 का संशोधन 3. **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये विद्यमान नियम–6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
6 उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।	6 उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण, भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

नियम 8 का संशोधन	**4.**	**मूल नियमावली के नियम 8 के उपनियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियम रख दिया जायेगा अर्थात :–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8(2)अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) पर सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक अर्हताः–भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान विषयों में (भैातिक, रसायन एवं गणित विषयों में) स्नातक की उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि। केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम छः माह का सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जायेगा।	**8(2) अग्निशमन द्वितीय अधिकारी** (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिये शैक्षिक अर्हताः– भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष उपाधि। केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कम से कम छः माह का सर्टिफिकेट इन कम्प्यूटर एप्लिकेशन होने की स्थिति में अधिमान दिया जायेगा। भूतपूर्व सैनिकों के लिये शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट (विज्ञान वर्ग) या इसके समकक्ष होगी।

नियम 10 का संशोधन	**5.**	**मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम–10 के उप नियम (1) तथा उप नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10(1) सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का नाम उत्तराखण्ड राज्य के किसी सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।	10(1) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह–ग के सीधी भर्ती के लिये अनिवार्य/वांछनीय अर्हता नियमावली, (समय–समय पर यथासंशोधित) निहित प्रावधान/शर्तो के अनुसार किये जायेंगे।
10(3) सीधी भर्ती हेतु केवल पुरूष अभ्यर्थी पात्र होगें।	**10(3) सीधी भर्ती हेतु पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी पात्र होंगे।**

नियम 11 का संशोधन	**6.**	**मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम–11 के स्थान पर स्तम्भ–2 में नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
1 सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि जिस कलैण्डर वर्ष में रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, उसकी पहली जुलाई को अभ्यर्थी ने नीचे दी गई तालिका में पद के सम्मुख दी गई न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु प्राप्त न की होः–	11 सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि जिस कलैण्डर वर्ष में रिक्तियाँ विज्ञापित की जाय, उसकी पहली जुलाई को अभ्यर्थी ने नीचे दी गई तालिका में पद के सम्मुख दी गई न्यूनतम आयु प्राप्त कर ली हो और अधिकतम आयु से अधिक आयु प्राप्त न की होः–

क्र0 सं0	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	अग्निशामक (फायर मैन)	18 वर्ष	22 वर्ष
2	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	21 वर्ष	28 वर्ष

क्र0 सं0	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	अग्निशामक (फायर मैन) (पुरूष)	18 वर्ष	22 वर्ष
2	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (पुरूष)	21 वर्ष	28 वर्ष

क्र0 सं0	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु
1	अग्निशामक फायर (वुमैन)	18 वर्ष	25 वर्ष
2	महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी	21 वर्ष	28 वर्ष

नियम 13 का संशोधन **7.** **मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम–13 के स्थान पर स्तम्भ–2 में उल्लिखित नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
13 पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्त का पात्र नहीं होगा, परन्तु यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो यह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेंगी।	13 ऐसा पुरूष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो, अथवा ऐसी महिला, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति की पात्र नहीं होगें, परन्तु यह कि यदि सरकार का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

नियम 15 का संशोधन **8.** **मूल नियमावली में विद्यमान नियम 15 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
15 रिक्तियों की अवधारणा के सम्बन्ध में नियुक्त प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।	15 नियुक्त प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या नियम–6 के अधीन उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य श्रेणी के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

नियम 16 का संशोधन **9.** **मूल नियमावली में नियम 16 में–**

(II) नीचे स्तम्भ 1 में दिये गए विद्यमान खण्ड (तीन) के उपखण्ड (ख), (ग), (घ), (ड.), के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गए खण्ड रख दिये जायेगें अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
16 (तीन) (ख) बुलावा पत्र निर्धारित तिथि तक भर्ती केन्द्रों पर प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी। जॉचोंपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे, उन्हें शारिरिक मानक नाप–जोख हेतु बुलाया जायेगा। बुलावा पत्र परीक्षा प्रारम्भ होने से कम एम सप्ताह पूर्व पहुँच जाने चाहिए। यदि बुलावा पत्र परीक्षा के दिनांक से एक सप्ताह पूर्व तक प्राप्त नहीं होता है तो, अभ्यर्थी हेल्पलाईन से सम्पर्क कर द्वितीय बुलावा पत्र की कापी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे दस्तावेजों, जो अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिये प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षित हो, को बुलावा पत्रों में स्पष्ट रूप से इंगित किया जायेगा। शारीरिक मानक नाप–जोख अग्निशामक हेतु परिशिष्ट–2(क) के अनुसार एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(क) के अनुसार होंगे।	**16 (तीन) (ख) बुलावा पत्र** निर्धारित तिथि तक आयोग में प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की जांच की जायेगी। जॉचोंपरान्त जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र उपयुक्त पाये जायेंगे, उन अभ्यर्थियों की जनपदवार सूची पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराएगा। पुलिस मुख्यालय जिले के भर्ती केन्द्र के लिए प्राधिकृत केन्द्र प्रभारी को उनसे सम्बन्धित जनपद की सूची उपलब्ध करायेंगे। सम्बन्धित जनपद के केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों की शारिरिक मानक एवं दक्षता परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र निर्गत करेंगे। शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा का दिनांक और समय सहित, परीक्षा–कोड/नाम/पता और परीक्षा केन्द्र स्थल आदि का उल्लेख सम्बन्धित प्रवेश पत्रों में स्पष्ट रूप से किया जायेगा। शारीरिक मानक नाप–जोख पुरूष अग्निशामक हेतु परिशिष्ट–2(क), महिला अग्निशामक हेतु परिशिष्ट 2(ख)(1) एवं पुरूष अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(क), महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट–3(ख)(1) के अनुसार होंगे।
16(तीन) (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी क्रमशः परिशिष्ट–2(ख) एवं परिशिष्ट–3(ख) में विहित की गई है।	**16(तीन) (ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा** शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी क्रमशः परिशिष्ट–2(ख) एवं परिशिष्ट–3(ख) में विहित की गई है तथा महिला अग्निशामक हेतु परिशिष्ट 2(ख)(1) एवं महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु परिशिष्ट 3(ख)(1) में विहित की गई है। महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की है और इसका श्रेष्ठता सूची पर कोई प्रभाव नहीं होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों की जनपद वार प्राप्तांक युक्त यूची पुलिस मुख्यालय द्वारा आयोग को उपलब्ध करायी जायेगी। उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात् सेवा अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी सेवा नियमावली–2016 के अन्य समस्त नियम यथावत रहेंगे।
16 (तीन) (घ) लिखित परीक्षा शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु लिखित परीक्षा के आयोजन की प्रकिया ऐसी होगी जैसी क्रमशः **परिशिष्ट–2(ग) एवं परिशिष्ट–3** (ग) में दी गई है।	**16(तीन) (घ) लिखित परीक्षा** शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। अग्निशामक एवं अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जायेगी। लिखित परीक्षा प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी क्रमशः **परिशिष्ट– 2(ग) एवं परिशिष्ट–3**(ग) में दी गई है।
16(तीन) (ड.) अन्तिम श्रेष्ठता सूची आयोग नियम 6 के अनुसार अनुसूचित	**16(तीन) (ड.) अन्तिम श्रेष्ठता सूची** विभागीय चयन समिति द्वारा नियम 6 के अनुसार अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्ग के अभ्यथियों का विद्यमान नियमों के अर्न्तगत सम्यक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुये अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता कम में एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। अन्तिम श्रेष्ठता सूची को वैबसाईट/सूचना पट्ट और समाचार पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंको के आधार पर श्रेष्ठता कम में प्रकाशित किया जायेगा। ायोग द्वारा जनपदवार एवं श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची प्रकाशित की जायेगी। आयोग अपने सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की गयी अभ्यार्थियों के प्राप्तांक की सूची उत्तर पत्रकों के साथ एक सील बन्द आवरण में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा।	जाति, अनुसूचित जन जातियों, अन्य पिछडे वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तथा अन्य श्रेणी के अभ्यथियों का विद्यमान आरक्षण नियमों के अर्न्तगत सम्यक प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखते हुये आयोग द्वारा अग्निशामक की शारीरिक दक्षता अंक और लिखित परीक्षा के जोड़कर अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता कम में एक अन्तिम चयन सूची तैयार करेगा। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे वरिष्ठता क्रम में रखा जायेगा। यदि दोनों अभ्यर्थियों की जन्म तिथि भी एक समान होती है तो ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठता प्रदान की जायेगी, यदि लिखित परीक्षा में भी समान अंक है तो शारीरिक दक्षता परीक्षा के अंक के आधार पर वरिष्ठता प्रदान की जायेगी। सीधी भर्ती के अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) की लिखित परीक्षा आयोग द्वारा सम्पादित कराकर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा का परिणाम विद्यमान आरक्षण नियमों के अनुसार श्रेष्ठता कम में सूची तैयार की जायेगी। अभ्यर्थियों के समान अंक होने पर जिस अभ्यर्थी की आयु अधिक होगी, उसे वरिष्ठता क्रम में रखा जायेगा। आयोग द्वारा श्रेणीवार श्रेष्ठता सूची प्रकाशित की जायेगी। आयोग अपने सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर की गयी अभ्यार्थियों के प्राप्तांक की सूची उत्तर पत्रकों के साथ एक सील बन्द आवरण में नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेगा। **(II) उप खण्ड (छः) के पश्चात् निम्नवत उपखण्ड अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात**
—	**16(तीन) (ज) शपथ पत्र** अन्तिम रूप से चयनित/चिकित्सकीय परीक्षण में सफल अभ्यर्थियों से इस आशय का बन्ध पत्र लिया जायेगा कि वे प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि से 05 वर्ष तक यदि उनके द्वारा त्याग पत्र दिया जाता है अथवा अभ्यर्थी द्वारा विभाग छोड़ा जाता है तो नियमानुसार उनके प्रशिक्षण में व्यय धनराशि एंव प्रशिक्षण अवधि के दौरान उन्हें भुगतान किये गये वेतन की धनराशि का भुगतान उन्हें अग्निशमन एवं आपात सेवा विभाग को करना होगा।
—	**16(तीन) (झ) पर्वतीय क्षेत्रों का निर्धारण** देहरादून में पूरी चकराता तहसील तथा राजपुर की ऊंचाई से ऊपर गंगा तथा यमुना नदियों के मध्य स्थित देहरादून तहसील के उत्तर तथा पूर्व में स्थित मसूरी पहाड़ी का क्षेत्र। नैनीताल तथा गढ़वाल,कोटद्वार समेत सब माउन्टेन सड़क के ऊपर का क्षेत्र, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, टिहरी गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के संपूर्ण भाग। नवसृजित जनपद बागेश्वर, रूद्रप्रयाग एवं चंपावत का संपूर्ण भाग भी इससे पूर्व में कमशः जनपद अल्मोड़ा, चमोली एवं पिथौरागढ़ का भाग होने के कारण पर्वतीय क्षेत्र माना जायेगा।

(III) खण्ड तीन के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित कर दिये जायेंगे, अर्थात

16(चार) **परीक्षा शुल्क** तत्समय उत्तराखण्ड शासन द्वारा समूह "ग" की अन्य परीक्षाओं हेतु निर्धारित किये जाने वाले परीक्षा शुल्क के अनुसार परीक्षा शुल्क लिया जायेगा।

16(पॉच) सीधी भर्ती प्रक्रिया

1– आयोग द्वारा भर्ती हेतु निर्गत विज्ञप्ति के अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी।

2–शारीरिक नाप–जोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षण के समय के प्रत्येक आईटम में अभ्यर्थी की शारीरिक दक्षता परीक्षा की वीडियोग्राफी अनिवार्य रूप से भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में कराई जायेगी।

3–भर्ती केन्द्र प्रभारी द्वारा अभ्यर्थियों की सूचियां / तालिकायें पहले से ही तैयार कर ली जायेंगी एंव शीट पर 20 अभ्यर्थियों के ही नाम लिखे जायेंगे। प्रत्येक अंक तालिका में सभी अभ्यर्थियों को अंक देने के उपरान्त परीक्षक द्वारा उस पर अपनी मोहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे तथा उसे सील कर लिफाफे के बाहर अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक तथा परीक्षा के आईटमों का नाम अंकित कर चयन समिति के अध्यक्ष को दे दिया जायेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण की अंक तालिका में कटिंग,ओवर राईटिंग न हो इसका विशेष ध्यान रखना परीक्षकों के लिये आवश्यक है, यदि सावधानी रखने के उपरान्त भी कहीं कटिंग हो जाती है तो इस पर स्वयं अपने हस्ताक्षर कर चयन समिति के अध्यक्ष से प्रतिहस्ताक्षर करायेंगे। अंक तालिकाओं की सभी प्रविष्टियां पेन से लिखी जायेंगी तथा पेंसिल से लिखना वर्जित होगा। प्रत्येक दिवस अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् उनका परीक्षा परिणाम सील बन्द लिफाफे में सुरक्षित रखा जायेगा।

4–अनुत्तीर्ण घोषित किये गये सभी अभ्यर्थियों को अंक तालिकायें प्रदान की जायेंगी एंव इसकी प्रति सुसंगत अभिलेखों में दर्ज करा ली जायेंगी। अंक तालिकाओं की स्लिप निर्धारित प्रारूप में डुप्लिकेट में बनाई जायेंगी तथा प्रत्येक आइटम के अंक उस पर अंकित किये जायेंगे। अभ्यर्थी जिस आइटम में फेल हो जाता है उसे उसकी अंक तालिका में अंकित कर एक प्रति उसी समय अभ्यर्थी को दे दी जायेगी तथा दूसरी प्रति पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करा लिये जायेंगे साथ ही इन सभी परिणामों को परीक्षा केन्द्र के नोटिस बोर्ड पर जन सामान्य की सूचना हेतु चस्पा कर दिया जायेगा।

5–यदि किसी दिन किसी आइटम की परीक्षा किसी कारणवश अधूरी रहती है तो उससे सम्बन्धित तालिका सीलबन्द कवर में क्वार्टर गार्द की सेफ में सुरक्षित रखी जायेगी। दूसरे दिन परीक्षा प्रारम्भ होने पर ही उसे सेफ से निकालकर अग्रिम परीक्षा ली जायेगी।

नियम 17 का संशोधन	10.	मूल नियमावली के नियम–17 के उपनियम (2) के खण्ड (ड.) के पश्चात् निम्नवत खण्ड अंतःस्थापित कर दिये जायेंग, अर्थात :–

स्तम्भ–1	स्तम्भ–2
–	(च) काडर विभाजन पदोन्नति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा, जिसे भारत सरकार द्वारा अन्तिम रूप से उत्तराखण्ड राज्य आवंटित हो तथा वह वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त हों। **(छ) पदोन्नति हेतु सेवा अभिलेख सेवाभिलेख–** 1–विगत 05 वर्षो के दौरान सत्यनिष्ठा रोकी न गई हो। 2–विगत 05 वर्षों में प्रतिकूल वार्षिक मन्तव्य अंकित न हो। 3–विगत तीन वर्षो में दीर्घ दण्ड न मिला हो। 4–विगत एक वर्ष में लघु दण्ड न मिला हो। परन्तु यदि दण्डित कर्मी द्वारा की गई अपील लम्बित हो अथवा अपील करने की अवधि व्यतीत न हुई हो अथवा किसी कर्मी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही तथा अभियोग विवेचनाधीन अथवा न्यायालय में विचाराधीन हो तो ऐसे कर्मियों को भी पदोन्नति प्रकिया में सशर्त सम्मिलित किया जायेगा, लेकिन पदोन्नति प्रकिया के मध्य ऐसे कर्मी की अपील निरस्त/अस्वीकृत हो जाती है अथवा किसी विभागीय कार्यवाही एवं अभियोग में दण्डित होता है तो सम्बन्धित कर्मी को उसी स्तर पर पदोन्नति प्रक्रिया से बाहर कर दिया जायेगा, यदि ऐसे अभ्यर्थी की अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग,पदोन्नति प्रकिया के दौरान निस्तारित न हो पाये तो लम्बित अपील/विभागीय कार्यवाही/अभियोग के निर्णय की प्रत्याशा में उनका पदोन्नति परिणाम लिफाफे में सील बन्द कर दिया जायेगा। अपील/विभागीय कार्यवाही समाप्त होने या अभियोग में अन्तिम निर्णय होने के पश्चात ही निर्णय के सादृश्य सम्बन्धित कर्मी का सील बन्द लिफाफा खोला जायेगा।

नियम 20 का संशोधन	**11.**	**मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ 1 में दिये गए विद्यमान नियम–20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात :–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
20–प्रशिक्षण परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से राज्य सरकार या विभागाध्यक्ष द्वारा यथाविहित प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जायेगी।	**20–प्रशिक्षण** सीधी भर्ती हेतु आधार भूत प्रशिक्षण परिवीक्षा अवधि के दौरान प्राप्त किया जायेगा :– 1– अग्निशामक(फायरमैन)– 06माह। 2– अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर)–06 माह। **पदोन्नति हेतु निम्नवत प्रशिक्षण कराया जायेगा :–** 1– अग्निशामक(फायरमैन) पद से मुख्य अग्निशामक (लीडिंग फायरमैन) एवम् फायर सर्विस चालक के पद पर पदोन्नति हेतु 03 माह का प्रशिक्षण।

2– मुख्य अग्निशामक (लीडिंग फायरमैन) एवम् फायर सर्विस चालक के पद से अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु **03 माह** का प्रशिक्षण।

3– अग्निशमन द्वितीय अधिकारी से अग्निशमन अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु **05 सप्ताह** (35 दिवस) का प्रशिक्षण कराया जायेगा।

नियम 29 का संशोधन

12. मूल नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान नियम 29 के स्थान पर स्तम्भ–2 में नियम को रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
29 इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।	**29** इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए उपबंधित किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट 1(क) का संशोधन

13. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान परिशिष्ट 1(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया परिशिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम				स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम 24(2)–वेतनमान			
क्र.	पद का नाम	वेतनमान वेतन (रू0)	ग्रेड–वेतन (रू0)	क्र	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स (रू0)	लेवल
1	अग्निशमन अधिकारी (फायर स्टेशन ऑफिसर)	9300–34800	4200	1	अग्निशमन अधिकारी (फायर स्टेशन ऑफिसर)	वेतन मैट्रिक्स 47,800–1,51,100	लेवल–8
2	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड ऑफिसर)	9300–34800	4200	2	अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड ऑफिसर)	वेतन मैट्रिक्स 44,900–1,42,400	लेवल–7
3	मुख्य अग्निशामक (लीडिंग फायरमैन)	5200–20200	2400	3	लीडिंग फायरमैन	वेतन मैट्रिक्स 25,500–81,100	लेवल–4
4	फायर सर्विस चालक	5200–20200	2400	4	फायर सर्विस चालक	वेतन मैट्रिक्स 25,500–81,100	लेवल–4
5	फायरमैन (अग्निशामक)	5200–20200	2000	5	फायरमैन	वेतन मैट्रिक्स 21,700–69,100	लेवल–3

नये परिशिष्ट 2क (1) का अंतःस्थापन

14. मूल नियमावली के परिशिष्ट 2(क) के पश्चात् निम्न परिरिष्ट अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :–

परिशिष्ट–2क(1) {नियम–16(ख) देखें}

महिला अग्निशामक (फायरमैन) की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक मानक नाप–जोप

2– महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है :–

ऊँचाई

(1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वग –152 से0मी0

(2) अनुसूचित जनजाति हेतु –147 से0मी0

(3) पर्वतीय क्षेत्र हेतु –147 से0मी0

वजन– न्यूनतम 45 कि0ग्राम होना अनिवार्य है।

नये परिशिष्ट 2ख (1) का अंतःस्थापन	15. मूल नियमावली के परिशिष्ट 2(ख) के पश्चात् निम्न परिरिष्ट अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :–

परिशिष्ट–2ख (1){नियम 16(ग) देखें}

महिला अग्निशामक (फायरमैन) की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षा में सफल घोषित पात्र अभ्यर्थियों सें शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी। महिला अग्निशामक एवं महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी।

2– महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक दक्षता परीक्षण निम्न प्रकार है :–

क्र.सं.	इवेन्ट का नाम	दूरी/समय	अंक
1	क्रिकेट बाल थ्रो (पूर्णाक 20 अंक)	16 मीटर	10
		20 मीटर	12
		24 मीटर	14
		28 मीटर	16
		32 मीटर	20
2	लम्बी कूद (पूर्णाक–20 अंक)	8 फिट	10
		9 फिट	12
		10 फिट	14
		11 फिट	16
		12 फिट	18
		13 फिट	20
3	दौड़ 50 मीटर (पूर्णाक 20)	16 सेकेण्ड	10
		15 सेकेण्ड	12
		14 सेकेण्ड	14
		13 सेकेण्ड	16
		12 सेकेण्ड	18
		11 सेकेण्ड	20
4	शटल रेस (25×4 मीटर) (पूर्णाक 20)	29 सेकेण्ड	10
		28 सेकेण्ड	14
		27 सेकेण्ड	18
		26 सेकेण्ड	20
5	स्किपिंग (पूर्णाक 20)	55 बार 01 मिनट	10
		60 बार 01 मिनट	12
		65 बार 01 मिनट	14
		70 बार 01 मिनट	16
		75 बार 01 मिनट	18
		80 बार 01 मिनट	20

परिशिष्ट –2ग{नियम 16(घ) देखें}

फायरमैन (अग्निशामक) के पदों की सीधी भर्ती के लिये लिखित परीक्षा की प्रक्रिया

परिशिष्ट 2(ग) का संशोधन

16. मूल नियमावली के परिशिष्ट 2(ग) में–

(i) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान बिन्दु (2) तथा (4) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिये गये बिन्दु रख दिये जायेंगे, अर्थात :–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित नियम
(2) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिवस और समय पर आयोजित की जायेगी।	(2) लिखित परीक्षा पूरे राज्य में एक ही दिनांक और एक समय पर आयोजित की जायेगी तथा लिखित परीक्षा की समय अवधि 120 मिनट की होगी।
(4) प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा।	(4) वस्तुनिष्ठ परीक्षा का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के लिये 01 अंक प्रदान किया जायेगा एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिये 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा।

(ii) बिन्दु (6) के पश्चात् निम्न बिन्दु अंतः स्थापित कर दिए जायेंगे, अर्थात–

(7) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास प्रवेश पत्र अवश्य पहुँच जाय, यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र नहीं प्राप्त करता है, तो वह आयोग की हैल्प लाईन मोबाईल/लैंडलाईन टेलीफोन या वेबसाईट के माध्यम से संपर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। लिखित परीक्षा की तिथि से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के प्रभारियों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया जायेगा।

(8) लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित किया जायेगा।

(9) लिखित परीक्षा हेतु ओ0एम0आर0 शीट कार्बन प्रति के साथ 03 प्रतियों में होगी, प्रथम शीट मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित संस्था को भेजी जायेगी, द्वितीय शीट सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी तथा तृतीय शीट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

नये परिशिष्ट 3क (1) का अंतःस्थापन

17. मूल नियमावली के परिशिष्ट 3(क) के पश्चात् निम्न परिरिष्ट अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात :–

परिशिष्ट–3क (1) {नियम 16(ख) देखें}

महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिए शारीरिक मानक नाप–जोख

2– महिला अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्न प्रकार है :–		
	ऊँचाई (1) सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग	152 सेंटीमीटर
	(2) अनुसूचित जनजाति हेतु	147 सेंटीमीटर
	(3) पर्वतीय क्षेत्र	147 सेंटीमीटर
टिप्पणी– वजन– न्यूनतम 45 कि0ग्राम होना अनिवार्य है।		

नये परिशिष्ट 3ख (1) का अंतःस्थापन

18. मूल नियमावली के परिशिष्ट 3(ख) के पश्चात् निम्न परिरिष्ट रख दिया जायेगा, अर्थात :–

परिशिष्ट–3ख (1) {नियम 16(ग) देखें}

अग्निशमन द्वितीय अधिकारी महिला (फायर स्टेशन सेकेन्ड आफिसर) के पद पर चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण

महिला अग्निशमन द्वितीय अधिकारी पद हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षा की न्यूनतम अर्हकारी मानक निम्नवत होंगे :–

क्र.स.	इवेन्ट का नाम	मानक
1	क्रिकेट बाल थ्रो	20 मीटर
2	लम्बी कूद	8 फिट
3	दौड़ व चाल	200 मीटर (40 सेकेण्ड में)
4	स्किपिंग	01 मिनट में 60 बार
5	शटल रेस (25×4 मीटर)	29 सेकेण्ड में

परिशिष्ट 3(ग) का संशोधन

19. मूल नियमावली के परिशिष्ट 3(ग) में–

(i) नीचे स्तम्भ–1 में दिये गए विद्यमान बिन्दु (3) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात :–

परिशिष्ट–3ग{नियम 16(घ) देखें}

अग्निशमन द्वितीय अधिकारी (फायर स्टेशन सेकेण्ड आफिसर) के पद पर सीधी भर्ती के लिये लिखित परीक्षा की प्रक्रिया:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित नियम
लिखित परीक्षा के 300 पूर्णंक होंगे। लिखित परीक्षा में दो प्रश्न पत्र होंगे। लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ (objective type) एवं बहुविकल्पीय (multiple choice) प्रकार की होगी। परीक्षा के विषय/अंको का विवरण निम्नवत होगी:– विषय — अधिकतम अंक (1) सामान्य हिन्दी (हाईस्कूल स्तर) — 100 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक) (समय 1 घण्टा) (2) सामान्य ज्ञान एवं मानसिक योग्यता– — 200 अंक (समय 2 घण्टा) क–सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण — 50 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक) ख–सामान्य जागरूकता — 75 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक) ग–गणितीय क्षमता (हाईस्कूल स्तर) — 75 अंक (प्रत्येक प्रश्न 1 अंक)	100 अंको की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा, संबंधित पद की न्यूनतम अर्हता से सम्बन्धित विषयों की होगी। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 01 अंक एवं गलत उत्तर हेतु 0.25 ऋणात्मक अंक प्रदान किया जायेगा
	(ii) बिन्दु (6) के पश्चात् निम्न बिन्दु अंतः स्थापित कर दिए जायेंगे, अर्थात–
	यह सुनिश्चित किया जायेगा कि परीक्षा के प्रारम्भ होने के एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थी के पास प्रवेश पत्र अवश्य पहुँच जाय। यदि कोई अभ्यर्थी एक सप्ताह पूर्व प्रवेश पत्र नहीं प्राप्त करता है, तो वह आयोग की हैल्प लाईन मोबाईल/लैंडलाईन टेलीफोन या वेबसाईट के माध्यम से संपर्क करके इसकी दूसरी प्रति प्राप्त कर सकता है। लिखित परीक्षा की तिथि से अभ्यर्थियों को सम्बन्धित भर्ती केन्द्र के प्रभारियों द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराया जायेगा।
	लिखित परीक्षा में अनारक्षित व अन्य पिछडा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किये अभ्यर्थियों को ही भर्ती प्रकिया में सम्मिलित किया जायेगा।

	लिखित परीक्षा हेतु ओ0एम0आर0शीट कार्बन प्रति के साथ 03 प्रतियों में होगी, प्रथम शीट मूल्यांकन हेतु सम्बन्धित संस्था को भेजी जायेगी, द्वितीय शीट सम्बन्धित भर्ती केन्द्र प्रभारी के पर्यवेक्षण में डबल लॉक में सुरक्षित रखी जायेगी तथा तृतीय शीट अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।
	आयोग द्वारा लिखित परीक्षा सम्पादित कराकर उपलब्ध रिक्तियों के सापेक्ष लिखित परीक्षा का परिणाम विद्यमान आरक्षण नियमो के अनुसार तैयार कर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। भर्ती प्रकिया का परिणाम आयोग द्वारा जारी किया जायेगा एवं उत्तराखण्ड पुलिस की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(कृष्ण कुमार वी0के0)
अपर सचिव।